संख्या-80/2018/2437/22-2-2017-17(178)/2010

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊः दिनांक 18 जनवरी, 2018***

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अवधेश पुत्र श्री बेचेलाल अवस्थी, निवासी जनपद-हरदोई की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-33908/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-15.09.2017, दिनांक 18.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 18.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अवधेश पुत्र श्री बेचेलाल अवस्थी, ग्राम पपईपुरवा, थाना बेहटा गोकुल, जनपद-हरदोई का रहने वाला है। बन्दी द्वारा नशे की हालत में दिनांक 19.04.2008 को अपनी पत्नी को लोहे की फुकनी से मारकर हत्या कर अपराध कारित किया। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-417/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/176 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-07, जिला हरदोई के आदेश दिनांक 17.12.2009 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06.06.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 07.09.2016 तक 08 वर्ष 02 माह 05 दिन की अपरिहार एवं 10 वर्ष 04 माह 01 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु लगभग 45 वर्ष है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं गयी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति व आयु तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अवधेश (बन्दी संख्या-26623) पुत्र श्री बेचेलाल अवस्थी, निवासी-जनपद-हरदोई की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-80/2018/2437/(1)/22-2-2017, तद्वदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हरदोई।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in